

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र


स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश सं०-55(1)ब०, दिनांक-11.08.2014 के संलग्न विवरणी में अंकित "20 03 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार" को संशोधित रूप से "20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार" पढ़ा जाय।

2- उक्त आवंटनादेश के संलग्न विवरणी के अंत में, कुल योग पंक्ति (row) से ऊपर अंकित पंक्ति (row) को संशोधित रूप से निम्नरूपेण पढ़ा जाय-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	शेष राशि
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	5000000	833250	1333500	2166750	2833250

3- आवंटनादेश सं०-55(1)ब० दिनांक-11.08.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4- आवंटनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।


(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक:-1/ना०क०-06/2014- 83 (1) ब०/स्वा०, पटना, दिनांक- 12/3/2015

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्राचार्य, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।